बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 / .... पटना, दिनांक– ....

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार।*

विषय– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण कार्यरत हस्तकरघा / लूम धारक बुनकरों को 15,000 / – (पन्द्रह हजार) रु0 प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़) रु0 मात्र की स्वीकृत राशि में से ₹ 1,00,65,000 / – (एक करोड़ पैंसठ हजार) रुपये मात्र निकासी उपरान्त ₹ 97.60 लाख (संतानवे लाख साठ हजार) रु0 मात्र की निकासी एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्यादेश सं0–1232 दिनांक–13.08.2025 के क्रम में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण कार्यरत हस्तकरघा / लूम धारक बुनकरों को 15,000 / – (पन्द्रह हजार) रुपये प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़) रु0 मात्र की स्वीकृत राशि में से ₹ 1,00,65,000 / – (एक करोड़ पैंसठ हजार) रुपये मात्र निकासी उपरान्त ₹ 97.60 लाख (संतानवे लाख साठ हजार) रु0 मात्र की निकासी एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का क्रियान्वयन निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा, जो निम्न शर्तो के अधीन कार्यरत हस्तकरघा / लूम धारक बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलबध कराई जाएगी।

– यू0आई0डी0 उत्कीर्ण कार्यरत हस्तकरघा एवं पाटी लूम धारक बुनकर जो वर्तमान में उस पर वस्त्र बुनाई का कार्य कर रहे हैं, उन्हें ही कार्यशील पूँजी के रूप में 15,000 / – (पन्द्रह हजार) रूपये की राशि दी जाएगी।

– सभी सबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लाभुक पात्र बुनकरों की सूची उनके नाम व पता, बैंक खाता, IFSC Code, बैंक शाखा के नाम एवं UID संख्या के साथ हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना में उपलब्ध कराया जाएगा।

– लाभुक पात्र बुनकरों के खाते में RTGS के माध्यम से राशि निदेशालय स्तर से उपलब्ध करायी जायेगी।

– राज्य में सर्वेक्षणोपरान्त कार्यरत हस्तकरघा पर UID संख्या उत्कीर्ण किया गया है। यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा के कार्यरत / अकार्यरत होने की जाँच महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर, बांका, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमुर, नालन्दा, नवादा, पटना, सिवान, पश्चिम चम्पारण एवं मधुबनी से करायी गयी है। उक्त आलोक में यू0आई0डी0 उत्कीर्ण कार्यरत हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जायेगी।

– यह राशि बाजार माँग के अनुरूप बुनकरों द्वारा सूत क्रय कर हस्तकरघा पर वस्त्र बुनाई करने हेतु दिया जा रहा है।

3. उक्त राशि माँग संख्या–23 अन्तर्गत बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 हथकरघा उद्योग, उप शीर्ष–0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23–2851001030103, विषय शीर्ष 0103–33–01 सब्सिडी से विकलित होगा, जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

4. प्राप्त बजट आवंटन के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी प्राप्त आवंटन के आधार पर वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC 26 पर अग्रिम के रूप में निकासी कर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना के बैंक खाता बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष विकास भवन, पटना के Account No.-000235002100002, IFSC Code-YESBOBSCB01 में RTGS के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर इसकी समीक्षा, अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण करेंगे।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर संचिका संख्या–ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 के पृष्ठ–18 / टि0 पर दि0–25.11.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं0–ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 के पृष्ठ–23 / टि0 पर दिनांक–29.12.2025 को अनुशंसा प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं0–ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 के पृष्ठ–23 / टि0 पर दि0–31.12.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–7355 / वि0 (2), दि0–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 / .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(1)

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 / .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 / .... पटना, दिनांक– ....

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार / सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / बजट पदाधिकारी प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों में / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर, बांका, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमुर, नालन्दा, नवादा, पटना, सिवान, पश्चिम चम्पारण एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / कार्यशील पूँजी)–06 / 2025 / 32 पटना, दिनांक– 13/01/2026

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/01/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।